न्यायालय लेण्ड रेकार्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – शक्तिसिंह भाटी, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 146 / 2017

दायर दिनांक – 13 / 10 / 2017

निर्णय दिनांक – 12 / 03 / 2018

अनवान

1. जगदीश पिता माधुलाल जाट निवासी आंजणा तह0 रेलमगरा
2. किशनलाल पिता माधुलाल जाट निवासी आंजणा तह0 रेलमगरा

प्रार्थीगण

बनाम

1. शंकरलाल पिता रतनलाल जाट निवासी आंजणा तह0 रेलमगरा
2. किशनलाल पिता घासी जाट निवासी आंजणा तह0 रेलमगरा
3. मोहनलाल पिता उंकार ब्राहमण निवासी गवारडी तह0 रेलमगरा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 129, 111 भू राजस्व अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 129, 111 भू राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी संख्या 665 रकबा 04–06 ग्राम आंजणा पटवार मण्डल गवारडी तहसील क्षेत्र रेलमगरा में स्थित है। जिसमें 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण एवं 1/2 हिस्सा विपक्षी संख्या 3 का है किन्तु विपक्षी संख्या 3 प्रार्थी नहीं बनने से एवं इसके उत्तर दिशा में विपक्षी संख्या 3 की आराजी संख्या 653 होने से इसे विपक्षी संख्या 3 बनाया गया है। प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 3 की आराजी संख्या 665 के उत्तर दिशा में विपक्षीगण संख्या 1 व 2 की आराजी संख्या 663 रकबा 0–15 बिघा 1393/663 रकबा 02–15 बिघा व विपक्षी संख्या 3 की आराजी संख्या 653 रकबा 03–05 बिघा स्थित है। जिसमें से आराजी संख्या 663, 1393/653 जो खाते में लेहरू पिता उदयराम जाट निवासी आंजणा के नाम पर है। किन्तु खातेदार लेहरू का स्वर्गवास दिनांक 02.09.2017 को हो गया व उसके कोई जायन्दा औलाद या पत्नि या माता पिता नहीं है उसके वारिस में उसका काका विपक्षी संख्या 2 किशन लाल व दुसरे काका स्व. रतनलाल का लडका विपक्षी संख्या 1 शंकर लाल है। जिससे विपक्षी संख्या 1 व 2 को इस मामले में इन्हे पक्षकार बनाया गया है तथा आराजी संख्या 653 विपक्षी संख्या 3 की होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी व विपक्षी संख्या 3 की उक्त आराजीयात 665 व विपक्षीगण की आराजी संख्या 663, 1393/653 के बिच कोई स्थाई सीमांकन चिन्ह नहीं होने से बार बार सीमा बाबत् विवाद होता रहता है। व भविष्य में विवाद होने की सम्भावना

हैं तथा स्थाई सीमांकन चिन्ह नहीं होने से प्रार्थी अपनी उक्त आराजी की दक्षिणी सीमा पर स्थाई रूप से विवाद को समाप्त करने के लिए प्रार्थी व विपक्षीगण की उक्त आराजीयात के सीमाओं के बीच स्थाई सीमांकन चिन्ह हेतु पत्थरगढ कराया जाना आवश्यक है। इस हेतु पत्थरगढी करवाने के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण ने दिनांक 12.06.2017 को प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उक्त आराजीयात की सीमा की जानकारी करवाई जिसका पटवारी हल्का ने मौके पर पहुंचकर पर्चा मौका तैयार किया। जिसकी प्रमाणित प्रति साथ संलग्न है। सीमा जानकारी के बाद भी विपक्षीगण मौके पर सीमा बाबत् विवाद कर रहे है । व स्थाई सीमांकन सीमांकन चिन्ह हेतु पत्थरगढी हो जाने पर भविष्य में किसी प्रकार का विवाद नहीं रहेगा व मुकदमें बाजी बढने की कोई सम्भावना नहीं रहेगी। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र हेतु जब जब सीमा बाबत विपक्षीगा ने विवाद करना चाहा व प्रार्थी ने सीमा जानकारी करवाई इसके बाद आज से करीबन 1 माह पूर्व से प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को प्रार्थीगण व विपक्षीगण की आराजीयात के बिच पत्थरगढी करवाने हेतु कहने पर नहीं मानकर इन्कार करते हुए सीमा बाबत विवाद कर रहै है तब से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण व विपक्षीगण संख्या 3 की आराजी संख्या 665 व विपक्षीगण की आराजी संख्या 663, 1393/653, 653 की सीमाओं के बिच स्थाई सीमांकन चिन्ह हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार को नियुक्त करने का आदेश प्रदान कराया जावें। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थीगण अदा करने को तैयार हैं। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र पेश है।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये तथा अप्रार्थीगण संख्या 03 से अपनी सहमति प्रदान की गयी कोई जवाब प्रस्तुत नही करना चाहते है।

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 03 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि का सीमाकंन कराये जाने का हक अधिकार निहित है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 129, 111 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम आंजणा में प्रार्थीगण व विपक्षीगण संख्या 3 की आराजी संख्या 665 व विपक्षीगण संख्या 01 व 02 की आराजी संख्या 663, 1393/653, 653 की सीमाओं के बीच स्थाई सीमांकन चिन्ह हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार

लक्टर
धिकारी)

को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार रेलमगरा पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी करा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 12/03/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

लेण्ड रेकार्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा